

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

अधिसूचना

पत्रांक-02/कर माफी-16/2019, परि०

876

पटना, दिनांक-

27/11/2020

The United Nations (Privileges and Immunities) Act., 1947 (Act No. 46 of 1947 1*) तथा WHO (World Health Organization) एवं भारत सरकार के बीच दिनांक-09.11.1949 को हुए समझौते के आलोक में WHO के वाहनों को भारत गणराज्य में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों से विमुक्ति दी गयी है। इसी क्रम में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-RT-23018/2/2003-T(Pt.), दिनांक-05.02.2004 द्वारा सभी राज्यों को प्रेषित पत्र द्वारा भी इसे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों से विमुक्त किये जाने के संबंध में संसूचित किया गया है।

उपरोक्त के आलोक में बिहार मोटरगाड़ी नियमावली-1992 के नियम-45(2)(घ) एवं बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-15(1) के संगत प्रावधानों के आलोक में WHO (The World Health Organization, South East Asia Regional Office, New Delhi) द्वारा WHO के नाम से क्रय किये गये वाहनों को राज्य सरकार द्वारा लगाये जाने वाले कर/शुल्क से विमुक्त किया जाता है।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से।

liay
24/11
(संजय कुमार अग्रवाल)
सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- 02/कर माफी-16/2019, परि०

876

पटना, दिनांक- 27/11/2020

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्राणालय, गुलजारबाग, पटना द्वारा संयुक्त सचिव, ई. गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी.डी. सहित सूचनार्थ एवं राजपत्र के आगामी साधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

he null
सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- 02/कर माफी-16/2019, परि०

876

पटना, दिनांक- 27/11/2020

प्रतिलिपि :- माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/मंत्री, परिवहन विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

he null
सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- 02/कर माफी-16/2019, परि०

876

पटना, दिनांक- 27/11/2020

प्रतिलिपि :- सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार/सभी मोटरयान निरीक्षक, बिहार/सभी प्रवर्तन तंत्र के पदाधिकारी/प्रवर्तन निरीक्षक/प्रवर्तन अवर निरीक्षक, बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

he null
सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- 02/कर माफी-16/2019, परि०

876

पटना, दिनांक- 27/11/2020

प्रतिलिपि :- Regional Team Leader, World Health Organization, Regional Office, 132C, Road No.-5, Patliputra Colony, Patna-800013, Bihar को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

he null
सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

अधिसूचना

पत्रांक-02/कर माफी-16/2019, परि0

पटना, दिनांक-

The United Nations (Privileges and Immunities) Act., 1947 (Act No. 46 of 1947 1*) तथा WHO (World Health Organization) एवं भारत सरकार के बीच दिनांक-09.11.1949 को हुए समझौते के आलोक में WHO के वाहनों को भारत गणराज्य में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों से विमुक्ति दी गयी है। इसी क्रम में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-RT-23018/2/2003-T(Pt.), दिनांक-05.02.2004 द्वारा सभी राज्यों को प्रेषित पत्र द्वारा भी इसे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों से विमुक्त किये जाने के संबंध में संसूचित किया गया है।

उपरोक्त के आलोक में बिहार मोटरगाड़ी नियमावली-1992 के नियम-45(2)(घ) एवं बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-15(1) के संगत प्रावधानों के आलोक में WHO (The World Health Organization, South East Asia Regional Office, New Delhi) द्वारा WHO के नाम से क्रय किये गये वाहनों को राज्य सरकार द्वारा लगाये जाने वाले कर/शुल्क से विमुक्त किया जाता है।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से।

ह0/-

(संजय कुमार अग्रवाल)

सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-

ज्ञापांक :- 02/कर माफी-16/2019, परि0

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्राणालय, गुलजारबाग, पटना द्वारा संयुक्त सचिव, ई. गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी.डी. सहित सूचनार्थ एवं राजपत्र के आगामी साधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

ह0/-

सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-

ज्ञापांक :- 02/कर माफी-16/2019, परि0

प्रतिलिपि :- माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/मंत्री, परिवहन विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-

ज्ञापांक :- 02/कर माफी-16/2019, परि0

प्रतिलिपि :- सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार/सभी मोटरयान निरीक्षक, बिहार/सभी प्रवर्तन तंत्र के पदाधिकारी/प्रवर्तन निरीक्षक/प्रवर्तन अवर निरीक्षक, बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-

ज्ञापांक :- 02/कर माफी-16/2019, परि0

प्रतिलिपि :- Regional Team Leader, World Health Organization, Regional Office, 132C, Road No.-5, Patliputra Colony, Patna-800013, Bihar को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

अधिसूचना

पत्रांक-02/कर माफी-16/2019, परि0

पटना, दिनांक-

The United Nations (Privileges and Immunities) Act., 1947 (Act No. 46 of 1947 1*) तथा WHO (World Health Organization) एवं भारत सरकार के बीच दिनांक-09.11.1949 को हुए समझौते के आलोक में WHO के वाहनों को भारत गणराज्य में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों से विमुक्ति दी गयी है। इसी क्रम में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-RT-23018/2/2003-T(Pt.), दिनांक-05.02.2004 द्वारा सभी राज्यों को प्रेषित पत्र द्वारा भी इसे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों से विमुक्त किये जाने के संबंध में संसूचित किया गया है।

उपरोक्त के आलोक में बिहार मोटरगाड़ी नियमावली-1992 के नियम-45(2)(घ) एवं बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-15(1) के संगत प्रावधानों के आलोक में WHO (The World Health Organization, South East Asia Regional Office, New Delhi) द्वारा WHO के नाम से क्रय किये गये वाहनों को राज्य सरकार द्वारा लगाये जाने वाले कर/शुल्क से विमुक्त किया जाता है।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से।

ह0/-

(संजय कुमार अग्रवाल)

सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- 02/कर माफी-16/2019, परि0

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्राणालय, गुलजारबाग, पटना द्वारा संयुक्त सचिव, ई. गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी.डी. सहित सूचनार्थ एवं राजपत्र के आगामी साधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

ह0/-

सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- 02/कर माफी-16/2019, परि0

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि :- माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/मंत्री, परिवहन विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

अधिसूचना

पत्रांक-02/कर माफी-16/2019, परि0

पटना, दिनांक-

The United Nations (Privileges and Immunities) Act., 1947 (Act No. 46 of 1947 1*) तथा WHO (World Health Organization) एवं भारत सरकार के बीच दिनांक-09.11.1949 को हुए समझौते के आलोक में WHO के वाहनों को भारत गणराज्य में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों से विमुक्ति दी गयी है। इसी क्रम में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-RT-23018/2/2003-T(Pt.), दिनांक-05.02.2004 द्वारा सभी राज्यों को प्रेषित पत्र द्वारा भी इसे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों से विमुक्त किये जाने के संबंध में संसूचित किया गया है।

उपरोक्त के आलोक में बिहार मोटरगाड़ी नियमावली-1992 के नियम-45(2)(घ) एवं बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-15(1) के संगत प्रावधानों के आलोक में WHO (The World Health Organization, South East Asia Regional Office, New Delhi) द्वारा WHO के नाम से क्रय किये गये वाहनों को राज्य सरकार द्वारा लगाये जाने वाले कर/शुल्क से विमुक्त किया जाता है।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से।

ह0/-

(संजय कुमार अग्रवाल)

सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक :- 02/कर माफी-16/2019, परि0 876

पटना, दिनांक- 27/11/2020

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्राणालय, गुलजारबाग, पटना द्वारा संयुक्त सचिव, ई. गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी.डी. सहित सूचनार्थ एवं राजपत्र के आगामी साधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

24/11
सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।